



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गोवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा थाना रामपुरकलां क्षेत्र में चोरी/नकबजनी/गोवध आदि की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए टीम का गठन कर क्षेत्राधिकारी सिधौली व थाना प्रभारी को घटना को रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना रामपुरकलां पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दिनांक 01.09.2020 को मु0अ0सं0 223/2020 धारा 3/5क गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुकूरता अधि0 व 429 भादवि में वांछित अभियुक्त कयूम पुत्र याकूब निवासी चहारपुर थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर को देवकलिया मोड बहद ग्राम चहारपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त द्वारा गोवध जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

● पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 223/2020 धारा 3/5क गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुकूरता अधि0 व 429 भादवि

● अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. कयूम पुत्र याकूब निवासी चहारपुर थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर

● गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम थाना रामपुरकलां:-

1. थानाध्यक्ष श्री संजीव कुमार थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर
2. उ0नि0श्री कैलाश यादव थानारामपुरकलां सीतापुर
3. का0 धर्मेश कुमार थाना रामपुरकलां सीतापुर
4. का0 पंकज भाटी थाना रामपुरकलां सीतापुर
5. का0 नीरज कुमार यादव थाना रामपुरकलां सीतापुर

